

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.2(ग)()जयपुर/अलेस-1/2018 / 140

दिनांक 31/05/19

आदेश

विभाग के आदेश संख्या एफ.2(ग)()जयपुर/अलेस-1/2018 / 889 दिनांक 04.01.2019 के द्वारा प्री. 2016 के पेन्शनर्स एवं पारिवारिक पेन्शन में संशोधन हेतु पेन्शन संशोधन दल में पूर्व में लगाये गये सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 के स्थान पर प्रशासनिक कारणों के आधार निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को सेकिण्डमेन्ट के आधार पर सम्बन्धित कोषालयों में वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत अवधि के लिये तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है :-

क्रमांक	लिक नम्बर	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 / सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 का नाम	पदस्थापित विभाग / कार्यालय का नाम	कोषालय का नाम पेशन संशोधन कार्य किया जाना है
1	2	3	4	5
1.	4738	प्रवेश कुमार शर्मा स.ले.अ.ग्रेड-1	आयुक्त, शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक) बीकानेर	बीकानेर
2.	2830	उत्तम चन्द तिवाड़ी स.ले.अ.ग्रेड-1	उप वन संरक्षक, (डीओडी) बीकानेर	बीकानेर
3.	4499	दिनेश चन्द टांक स.ले.अ.ग्रेड-1	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा	कोटा
4.	5653	शिवदत्त सिंह स.ले.अ.ग्रेड-1	उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियों कोटा	कोटा
5.	1942	रोहिताश्व सिंह मीणा स.ले.अ.ग्रेड-1	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजसमन्द	राजसमन्द
6.	4587	छगनलाल प्रजापत स.ले.अ. ग्रेड-1	खनि अभियन्ता-1, खान एवं भू विज्ञान विभाग राजसमन्द	राजसमन्द
7.	3220	अनिल कुमार सिंघी स.ले.अ.ग्रेड-1	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही	सिरौही
8.	3158	दिनेन्द्र बी.दवे स.ले.अ.ग्रेड-1	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाडा	बांसवाडा

उक्तानुसार कालम संख्या 4 में अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को निर्देशित किया जाता है कि वे अविलम्ब अपने वर्तमान कार्यालय से कार्यमुक्त होकर सम्बन्धित कोषाधिकारी के पास अपनी उपस्थिति देना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार के विलम्ब को अत्यन्त गम्भीरता से लिया जावेगा।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक: एफ.2(ग)()जयपुर/अलेस-1/2018 / 140
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक 31/05/19

- संयुक्त शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा/पेन्शन) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- निदेशक, पेन्शन एवं पेन्शनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
- अतिरिक्त निदेशक, पेन्शन एवं पेन्शनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय
- संयुक्त निदेशक (कोष) कार्यालय हाजा को आज दिनांक 31 मई 2019 को हुई वी.सी. के सन्दर्भ में।
- समस्त सम्बन्धित कोषाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि यदि उक्त कार्मिक तत्काल आपके पास रिपोर्ट नहीं करते हैं तो कृपया अविलम्ब ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in पर इस निदेशालय को सूचित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित विभाग/ कार्यालयाध्यक्षको भेजकर लेख है कि सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को सातवें वेतन आयोग के आधार पर प्री 2016 के पेन्शनर्स एवं पारिवारिक पेन्शनर्स की पेन्शन संशोधन हेतु तत्काल कार्यमुक्त कराने की व्यवस्था करने का श्रम करावें। आप द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त नहीं करने की स्थिति में यदि आपके क्षेत्राधिकार स्थित कोषालय में पेन्शन संशोधन का कार्य प्रारम्भ नहीं होता है अथवा यह महत्वपूर्ण कार्य पिछड़ता है तो ऐसी अप्रिय एवं अस्वीकार्य स्थिति की जिम्मेदारी इस निदेशालय की नहीं होगी।
- सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 / सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को भेजकर लेख है कि आप सम्बन्धित कोषालय में प्री2016 के पेन्शनर्स की पेन्शन संशोधन हेतु अविलम्ब कार्य प्रारम्भ कर सूचित करें तथा यदि आपको तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो अविलम्ब ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in एवं दूरभाष नम्बर 0141-2774134 इस निदेशालय को सूचित करना सुनिश्चित करें।
- अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय
- निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)